



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 12121 वर्ष 2025

मित्थुन उर्फ मित्थन उर्फ अजय

.... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह, आशीष कुमार तिवारी

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-12

माननीय न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 521 वर्ष 2022, अंतर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर में जमानत की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गिरोह सारणी में आवेदक के विरुद्ध पांच मुकदमे दर्शाए गए हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कुल 31 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें गिरोह सारणी में उल्लिखित मुकदमे भी सम्मिलित हैं और इन सभी मुकदमों में आवेदक जमानत पर है। जमानत आदेश अभिलेख पर हैं। आवेदक 01.09.2022 से जेल में है।

4. यह भी प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् शाह आलम उर्फ मोनू उर्फ सोनू, अजय लोना, रविन्द्र वर्मा और फागू को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 13131 वर्ष 2023, 13078 वर्ष 2022, 11853 वर्ष 2022, 13454 वर्ष 2022 में पारित दिनांक 20.12.2023, 23.08.2023, 10.07.2023 और 21.09.2023 के आदेशों द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की अपेक्षा के अनुसार वचनबंध प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किये गए उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. इस तथ्य पर सम्यक् विचार करते हुए कि आवेदक 01.09.2022 से जेल में है; गिरोह सारणी में दर्शाए गए मुकदमों में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक- **मित्थुन उर्फ मित्थन उर्फ अजय**, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ, जो न्यायहित में अधिरोपित की जा रही हैं, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनबंध दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(v) आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की अपेक्षा के अनुसार इस आशय का वचनबंध भी दाखिल करेगा कि वह किसी मामले में लिप्त नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(vi) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अनुपस्थिति की दशा में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

(vii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार बीएनएस की धारा 209 के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां वर्तमान जमानत आवेदन तक सीमित हैं और विचारण के गुण-दोष पर उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद)

4 जून, 2026

रेनु /-